

भारत स्काउट और गाइड, उत्तर प्रदेश जनपद— अलीगढ़

संगोष्ठी / कार्यशाला

दिनांक— 28 अगस्त, 2023 दिन— शनिवार

स्थान— चिरंजीलाल बालिका इण्टर कॉलेज, अलीगढ़

(हैण्ड बुक)

महोदय / महोदया,

बड़े हर्ष के साथ सूचित है कि विगत वर्षों की भांति भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, जिला संस्था अलीगढ़ के तत्वाधान में इस वर्ष भी जनपदीय स्काउटर एवं गाइडर संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी एवं कार्यशाला का उद्देश्य स्काउट-गाइड के प्रगतिशील कार्यक्रमों के बारे में चर्चा-परिचर्चा तथा विभिन्न कार्यक्रमों को सुचारु रूप से संचालित किया जाना है।

इसो कम में समस्त स्काउटर्स एवं गाइडर्स को जानने योग्य कुछ आवश्यक जानकारीयां निम्नलिखित हैं इस जानकारी के माध्यम से स्काउट दल/गाइड कम्पनी का संचालन और भी आसान और सुविधाजनक हो जाएगा।

➤ जनपद अलीगढ़ के समस्त विद्यालय जहाँ स्काउट-गाइड गतिविधियों को संचालित कराया जाना है उन सभी को भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0, जिला संस्था अलीगढ़ के माध्यम से स्काउट दल/गाइड कम्पनी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस हेतु पंजीकरण फार्म जिला मुख्यालय बाबू लाल जैन इण्टर कॉलेज अलीगढ़ से प्राप्त किया जा सकता है तथा पंजीकरण फार्म भारत स्काउट आर गाइड, उ0प्र0 एवं जनपद अलीगढ़ की बेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पंजीकरण की प्रक्रिया को आप अपने तहसील क्षेत्र के ट्रेनिंग काउंसलर तथा जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) के माध्यम से पूर्ण करा सकते हैं।

➤ जनपद अलीगढ़ के समस्त पंजीकृत विद्यालयों के द्वारा प्रत्येक वर्ष स्काउट दल/गाइड कम्पनी का अद्यतन नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। अद्यतन नवीनीकरण ना होने

की स्थिति उस विद्यालय में स्काउट-गाइड की गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी ऐसी स्थिति में जिला संस्था एवं प्रादेशिक संस्था आपके विद्यालय के स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा किये गये प्रगतिशील कार्यक्रमों को प्रमाणित नहीं करेगी और ना ही कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसलिये प्रत्येक वर्ष स्काउट दल/गाइड कम्पनी का अद्यतन नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है।

➤ जनपद अलीगढ़ के समस्त पंजीकृत विद्यालय जिनमें स्काउट-गाइड की गतिविधियां संचालित की जा रही है ऐसे सभी विद्यालयों में कम से कम एक या दो शिक्षक बेसिक/एडवांस अथवा उच्चतर स्काउट/गाइड ट्रेनिंग कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं अधिकार पत्र धारित होना चाहिए। निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अधिकार पत्र ना होने की स्थिति में स्काउट/गाइड गतिविधियों को संचालित/प्रमाणित करने के लिये स्काउटर/गाइडर पात्र नहीं होगा। भारत स्काउट और गाइड, उ0प्र0 एवं जिला संस्था द्वारा समय-समय पर शिक्षकों के लिये विभिन्न ट्रेनिंग कोर्सों का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है जिसका लाभ आपके द्वारा उठाया जा सकता है।

➤ जनपद अलीगढ़ के समस्त पंजीकृत विद्यालय जहाँ स्काउट-गाइड गतिविधियां संचालित है ऐसे सभी विद्यालयों को दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 से पूर्व दल/कम्पनी/स्काउट/गाइड/स्काउट मास्टर/गाइड कैप्टन को ऑनलाइन यूथ मेंबरशिप (OYMS) पोर्टल पर पंजीकृत कर यूनिक आइडेन्टिटी (UID) नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है। सत्र- 2023-24 में किसी भी प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम में भाग लेने के लिये यूआईडी नम्बर होना अनिवार्य है बिना यूआईडी नम्बर के आप प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने से वंचित हो सकते है। (UID) पंजीयन www.uat.bsgindia.org/login बेबसाइट द्वारा तथा जिला आई0टी0 सेल के सहयोग से कराया जा सकता है।

➤ प्रत्येक स्काउटर/गाइडर यह सुनिश्चित करें कि उनके विद्यालय का अंशदान एवं नवीनीकरण अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से जमा करा दिया जाए। जिसकी जमा सूचना/रसीद को प्रति जिला प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) श्रीमती ज्योति भार्गव जी के मोबाईल नम्बर 9456405747 पर अनिवार्य रूप से वाहट्सएप के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। जिला संस्था के पास वार्षिक अंशदान एवं अद्यतन

नवीनीकरण की सूचना अपडेट/उपलब्ध ना होने की स्थिति में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सोपान एवं राज्य पुरस्कार आदि में भाग लेने से आपके स्काउट/गाइड वंचित रहेंगे।

➤ स्काउट/गाइड प्रशिक्षण सम्बंधित ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें

निम्नलिखित है :-

प्रवेश- स्काउट/गाइड :-

- स्काउट/गाइड में प्रवेश लेने वाले किसी भी बालक/बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम अथवा 17 वर्ष से अधिक न हों।

दीक्षा- स्काउट/गाइड :-

- स्काउट/गाइड प्रवेश पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह है, जिसके उपरान्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् शीघ्र-अतिशीघ्र विद्यालय स्तर पर एक या दो दिन के भीतर प्रत्येक छात्र/छात्राओं का दीक्षा संस्कार आयोजित कराया जाना चाहिए।

प्रथम सोपान- स्काउट/गाइड :-

- स्काउट/गाइड प्रथम सोपान पाठ्यक्रम की अवधि 3 माह है, जिसकी गणना दीक्षा संस्कार की तिथि से की जाएगी। इस शिविर का आयोजन विद्यालय स्तर पर (न्यूनतम बेसिक एवं अधिकार पत्र प्राप्त) योग्ताधारित प्रशिक्षक के माध्यम से ही किया जाएगा एवं ध्यान रहें कि प्रथम सोपान करायें जाने की सूचना मय विवरण के जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। शिविर आयोजन की सूचना ना दिये जाने की स्थिति में शिविर को अमान्य मानते हुए प्रमाण पत्र जारी न करने या जिला संस्था द्वारा रोक लगाये जाने की जा सकती है।

द्वितीय सोपान- स्काउट/गाइड :-

- स्काउट/गाइड द्वारा प्रथम सोपान जॉच परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् द्वितीय सोपान पाठ्यक्रम अवधि 6 माह है, इस शिविर का आयोजन विद्यालय स्तर पर (न्यूनतम बेसिक एवं अधिकार पत्र प्राप्त) योग्ताधारित प्रशिक्षक के माध्यम से ही किया जाएगा एवं ध्यान रहें कि द्वितीय सोपान करायें जाने की सूचना मय विवरण के जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) को आवश्यक रूप से दी जानी चाहिए। शिविर आयोजन की सूचना

ना दिये जाने की स्थिति में शिविर को अमान्य मानते हुए प्रमाण पत्र जारी न करने या जिला संस्था द्वारा रोक लगाये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

तृतीय सोपान— स्काउट/गाइड :-

- स्काउट/गाइड द्वारा द्वितीय सोपान जॉच परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से 6 माह पश्चात् तृतीय सोपान के लिये पात्र होगा। तृतीय सोपान जॉच शिविर तहसील एवं जिला स्तर पर जिला संस्था के माध्यम से आयोजित किया जाता है। तृतीय सोपान में भाग लेने वाले स्काउट/गाइड की आयु सामान्यतः 13 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

राज्य पुरस्कार— स्काउट/गाइड :-

- स्काउट/गाइड द्वारा तृतीय सोपान जॉच परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने की तिथि से 9 माह पश्चात् राज्य पुरस्कार के लिये आवेदन किया जाना चाहिए। राज्य पुरस्कार जॉच शिविर प्रादेशिक मुख्यालय द्वारा मण्डल स्तर पर आयोजित किया जाता है। राज्य पुरस्कार के लिये आवेदन करने वाले स्काउट्स/गाइड्स की उम्र 17 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रपति पुरस्कार— स्काउट/गाइड :-

- स्काउट/गाइड द्वारा राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण होने की तिथि से 12 माह के पश्चात् राष्ट्रपति पुरस्कार के लिये आवेदन किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पुरस्कार प्री/जॉच शिविर का आयोजन राष्ट्रीय मुख्यालय से प्रादेशिक मुख्यालय को प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

- स्काउट/गाइड दक्षता पदक सम्बंधित ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें निम्नलिखित हैं :-

- जनपद अलीगढ़ में :-

द्वितीय सोपान दक्षता पदक— स्काउट/गाइड :-

- द्वितीय सोपान हेतु निर्धारित दो या तीन दक्षता पदक (ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 का 11(10) के अनुसार।

द्वितीय सोपान दक्षता पदक — 1. साइकीलिस्ट 2. गार्डनर

तृतीय सोपान दक्षता पदक— स्काउट/गाइड :-

➤ तृतीय सोपान हेतु निर्धारित दो दक्षता पदक गुप 'अ' से एक व गुप 'ब' से एक (ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 का 11(10) के अनुसार।

तृतीय सोपान दक्षता पदक – गुप 'अ'– 1. समुदायिक कार्यकर्ता

गुप 'ब'– 1. बुक बाइण्डर

राज्य पुरस्कार दक्षता पदक– स्काउट/गाइड :-

➤ राज्य सोपान हेतु निर्धारित दक्षता पदक (ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 का 13(8) के अनुसार।

राज्य पुरस्कार अनिवार्य दक्षता पदक – 1. एम्बुलेंस मैन

राज्य पुरस्कार दक्षता पदक – 1. साक्षरता 2. स्वच्छता उन्नायक
3. सुरक्षा

➤ राज्य सोपान हेतु निर्धारित दक्षता पदक (ए0पी0आर0ओ0 भाग 2 का 13(9) के अनुसार।

राज्य पुरस्कार दक्षता पदक – 1. प्राकृतिज्ञ 2. इलेक्ट्रिशियन

नोट :- उपरोक्त सभी दक्षता पदक जिला बैज समिति के परीक्षकों द्वारा परीक्षण के उपरान्त उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद जिला संस्था द्वारा प्रदान किये जाते है।

नमूना जन्मतिथि से उपरोक्त प्रशिक्षण के लिये स्काउट-गाइड की आयु की गणना हेतु :-

1. माना यदि जन्मतिथि – 01.07.2008 है,
2. दल/कम्पनी में सम्मिलित होने की तिथि – 02.07.2018 या पश्चात में,
3. प्रवेश परीक्षा/दीक्षा की तिथि – 03.10.2018 या पश्चात में,
4. प्रथम सोपान की तिथि – 04.04.2019 या पश्चात में,
5. द्वितीय सोपान की तिथि – 05.10.2019 या पश्चात में,
6. तृतीय सोपान की तिथि – 06.04.2020 या पश्चात में,
7. राज्य पुरस्कार की तिथि – 07.01.2021 या पश्चात में,
8. राष्ट्रपति पुरस्कार की तिथि – 08.01.2022 या पश्चात में,

!! धन्यवाद !!